न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 296/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. श्री रामसिंह पुत्र श्री गजेसिंह, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही (मृतक) के विधिक वारिसानः–

2/1.संगीता कुंवर पत्नी श्री रामसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर
2/2.दशरथसिंह पुत्र श्री रामसिंह , जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर
2/3.धीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर
2/4.दिव्या कुंवर पुत्री श्री रामसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री फिरोज सिलावट, अप्रार्थी संख्या–2/1 से 2/4 की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 25 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र श्री गजेसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1848 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 व ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.7.2009 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा यह निगरानी आवेदन अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर व श्री रामसिंह पुत्र श्री गजेसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी–कैलाशनगर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (रामसिंह) की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज सिलावट उपस्थित हुये। एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान, अप्रार्थी संख्या–2 (रामसिंह) की मृत्यु हो जाने से इनके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण में मृतक अप्रार्थी श्री रामसिंह के विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 को रेकर्ड पर लिये जाकर इन्हें पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी पक्ष ने संशोधित शीर्षक अनवान प्रस्तुत किया।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

 पंचायत निगरानी संख्याः 296/2020

(3) बहस सुनी गई। श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह रावणा राजपूत के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के 157(1) के अन्तर्गत पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 को क्षेत्रफल 1848 वर्गफीट का नियमों के विपरित जारी कर पूर्ण अवहेलना की गई हैं। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टा विलेख जारी करने का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत अधिकार प्रदत्त है परन्तु जांच प्रतिवेदन में राजस्व भू अभिलेख व तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकःराजस्व/2019/2967 दिनांक 09.12.2019 व पटवारी हल्का के पत्र दिनांक 05. 12.2009 के अनुसार श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह का मकान वर्तमान में खसरा संख्या 1444/4, रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म गोचर भूमि है एवं उक्त भूमि की दिनांक 09.12.2009 तक किस्म आबादी नही थी। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उक्त गोचर भूमि का पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में संनिर्मित पुराने घरो के लिये पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक हैं, वहां उन्हे प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा, परन्तु ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने गोचर भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा संख्या 41 जारी किया जो खारिज योग्य हैं। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के तत्कालीन सरपंच ने पट्टाधारक श्री रामसिंह को अनुचित लाभ देने की नियत से ग्रामसेवक पदेन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के हस्ताक्षर के बिना ही नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। नियम 146 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नही की गई एवं न ही नियम 146 के तहत वार्ड पंचों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायत की मिसल में वार्ड पंचों की निरीक्षण, रिपोर्ट, आपत्ति चस्पा करने का रिकॅार्ड नही है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र श्री गजेसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.7.2009 एवं पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2/1 से 2/4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर को उनके पुराने आवासीय मकान का नियमन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 को नियमानुसार जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.7.2009 के अनुसरण में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह रावणा राजपूत को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज ने तहसीलदार, शिवगंज के पत्र संख्या 2967 दिनांक 09.12.2009 के आधार भूमि को आबादी भूमि नही मानने में भूल की है, जबकि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प.12(3) राज/1300 दिनांक 15.5.1990 के द्वारा खसरा संख्या 1444 मी 1 की रकबा 34.01 बीघा भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटित/परिवर्तित कर खसरा संख्या 1444 मी 4 में आबादी हेतु भूमि का आवंटन कर दिया था व खसरा संख्या 1444 मी 1 की रकबा 21. 11 बीघा भूमि को गोचर के रुप में बदस्तुर रखा था। उसके उपरान्त तहसीलदार, शिवगंज के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2004 कैम्प दिनांक 23.12.2004 में उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 413 से भूमि को आबादी में दर्ज

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

किया गया था एवं इस आबादी भूमि में श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह का कब्जा आधिपत्य 30 वर्ष पुराना होने व पुराना आवासीय मकान बना हुआ होने से रामसिंह पुत्र गजेसिंह द्वारा ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने विधि अनुरुप प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 को जारी किया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने पटवारी हल्का से रामसिंह पुत्र गजेसिंह जी की उक्त कब्जेशुदा आवासीय मकान की भूमि आबादी भूमि होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत के तीन वार्ड पंच अचलाराम, भंवरसिंह व प्रबाराम से भूमि का मौका निरीक्षण करवाया है एवं आपत्ति नोटिस भी जारी किया है, जिसका उल्लेख ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के मिसल कार्यवाही विवरण में स्पष्ट रुप से किया हुआ है। केवल मात्र मौका निरीक्षण रिपोर्ट व आपत्ति नोटिस पंचायत की मिसल में नही होने के आधार पर पट्टा खारिज करने का कारण पैदा नही होता है। यह कि इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से उक्त पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 की भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड अनुसार रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकःकोर्ट / 2024 / 548 दिनांक 05.9.2024 से इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि रामसिंह पुत्र गजेसिंह को ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 में वर्णित भूमि ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 1444 / 1 रकबा 2.0234 हेक्टेयर किस्म आबादी भूमि में है एवं उक्त आबादी भूमि जिला कलेक्टर,, सिरोही के आदेश क्रमांकःप.12(3)राज / 1300—1304 दिनांक 15.5.1990 के द्वारा आवंटन होने से नामान्तरकरण संख्या 2743 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज हुई है एवं यह पट्टा आबादी भूमि में आता है। इससे यह साबित है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 की भूमि आबादी भूमि है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पं.स. शिवगंज का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र श्री गजेसिंह, जाति— रावणा राजपूत, निवासी— कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1848 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 को जारी किया गया है, जो पंचायत संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.7.2009 के अनुसरण में जारी किया जाना पट्टे पर अंकित किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः—

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100 / — रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200 / — रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
* सिरोही *

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उपखण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

प्रकरण में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज का मुख्यतः कथन यह है कि **"**ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टा विलेख जारी करने का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत अधिकार प्रदत्त है परन्तु जांच प्रतिवेदन में राजस्व भू अभिलेख व तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकःराजस्व/2019/2967 दिनांक 09.12.2019 व पटवारी हल्का के पत्र दिनांक 05.12.2009 के अनुसार श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह का मकान वर्तमान में खसरा संख्या 1444/4, रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म गोचर भूमि है एवं उक्त भूमि की दिनांक 09.12.2009 तक किस्म आबादी नही थी। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उक्त गोचर भूमि का पट्टा जारी किया गया है।**"** जबकि अप्रार्थी पक्ष का कथन यह है कि **"**जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प. 12(3) राज/1300 दिनांक 15.5.1990 के द्वारा खसरा संख्या 1444 मी 1 की रकबा 34.01 बीघा भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटित/परिवर्तित कर खसरा संख्या 1444 मी 4 में आबादी हेतु भूमि का आवंटन कर दिया था व खसरा संख्या 1444 मी 1 की रकबा 21.11 बीघा भूमि को गोचर के रुप में बदस्तुर रखा था। उसके उपरान्त तहसीलदार, शिवगंज के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2004 कैम्प दिनांक 23.12.2004 में उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2743 से भूमि को आबादी में दर्ज किया गया था एवं इस आबादी भूमि में श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह का कब्जा आधिपत्य 30 वर्ष पुराना होने व पुराना आवासीय मकान बना हुआ होने से श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह जी द्वारा ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने विधि अनुरुप प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 को जारी किया है।**"**

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से उक्त पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 की भूमि की सीमांकन/पैमाईश करवाकर उक्त पट्टे की भूमि राजस्व रेकर्ड में आबादी कब दर्ज हुई? के संबंध में रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकःकोर्ट/2024/548 दिनांक 05.9.2024 से इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ''श्री राम सिंह पुत्र गजेसिंह, जाति– रावणा राजपूत को ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 एवं उप पंजीयक, शिवगंज के कार्यालय में पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2641 दिनांक 07–10–2009 में वर्णत भूमि की मौका जांच की गई। उक्त भूमि ग्राम कैलाशनगर–I के खसरा नम्बर 1444/1 रकबा 2.0234 हेक्टेयर किस्म आबादी भूमि में है। उक्त आबादी भूमि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःप. 12(3)राज/1300–1304 दिनांक 15–5–1990 के द्वारा आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 2743 दिनांक 23–12–-2004 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। पट्टा दिनांक 06–7–2009 को जारी किया गया है एवं यह आबादी भूमि में आता है एवं राजस्व रेकर्ड मं अमल–दरामद से बाद की स्थिति में जारी हुआ है।''

इस प्रकार, पत्रावली पर निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के ठोस एवं पर्याप्त तथ्य प्रतीत नही होते है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

नही होता है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा रामसिंह पुत्र गजेसिंह जी, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 की भूमि आबादी भूमि नही होकर गोचर भूमि हो। पत्रावली में उपलब्ध तथ्य यह भी स्पष्ट करते है कि उक्त पट्टे की भूमि पर मकान बना हुआ है एवं उसी आधार पर पट्टा जारी किया गया है, परन्तु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित तथ्य एवं तहसीलदार, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट दिनांक 05.9.2024 में विरोधाभाष व भिन्नता है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्र्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को इन निर्देशों के साथ विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को पुनः प्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री रामसिंह पुत्र गजेसिंह, जाति– रावणा राजपूत, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.7.2009 की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested